भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र

पत्रांक 204 / कैम्प / ए0ई0–1 / 25–26 दिनांक 02/5/25

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
मथुरा।

विषय– रिट याचिका सं0 483 / 2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय / स्कूल भवनों का निरीक्षण कर सुरक्षा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

संदर्भ– (1) आपका पत्र सं0 45 दिनांक 11.04.2025।
(2) विशेष सचिव बेसिक शिक्षा अनुभाग–2 का पत्रांक 89 / अरसठ / 3–2018–2041 / 2018 दिनांक 11.01.2019।

महोदय,

उक्त संदर्भित दिनांक 11.04.2025 के क्रम में आप द्वारा चाही गयी भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की क्रम में माँगी गयी सूचना निम्नानुसार है:–

1. विद्यालय का नाम– द मिलेनियम स्कूल मौजा गोविन्दपुर निकट राधा वैली मथुरा।
2. विद्यालय तक पहुँच मार्ग– उपलब्ध है।

विद्यालय भवन का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विद्यालय भवन भूतल पर 10 कक्ष, प्रथम तल पर 10 कक्ष एवं द्वितीय तल पर 10 कक्ष आर0सी0सी0 से निर्मित है। उक्त के अतिरिक्त कार्यालय कक्ष, प्रधानाचार्य कक्ष, स्टॉफ रूम, ऑफिस कक्ष एवं आगन्तुक कक्ष आदि भी आर0सी0सी0 से निर्मित है। प्रबन्धक एंव प्रधानाचार्य के बैठने हेतु उचित व्यवस्था है। भूतल से प्रथम तल, द्वितीय तल एवं छत पर आने–जाने हेतु झीने निर्मित है। विद्यालय भवन में सामान्य विद्युत व्यवस्था के अतिरिक्त आकस्मिक विद्युत व्यवस्था जनरेटर के माध्यम से संचालित है। विद्यालय भवन में खेल–कूद एवं हल्के वाहन खडे करने हेतु उचित व्यवस्था है। वर्तमान में विद्यालय भवन टिकाऊ एवं मजबूत है तथा नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकों एवं लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप प्रतीत होता है।

नोट– उक्त प्रमाण पत्र की वैधता 02 वर्ष है।

(अजय कुमार)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0
मथुरा

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:–

1. प्रबन्धक द मिलेनियम स्कूल मौजा गोविन्दपुर निकट राधा वैली मथुरा।

2.05.25

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड–1 लो0नि0वि0
मथुरा